

श्रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मु. सरसी उर्फ सरली उर्फ ग्यारसी बनाम मु0 मिश्रो
804 / 2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00611)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

05.10.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2020 से बहस एडमिशन में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे हैं और इसके लिये उन्हें अंतिम अवसर भी दिये गये इसके बावजूद भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमिल जाबता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)

संभासीय आयुक्त,
जयपुर